

महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या- १२/2026/018-comp no. 1957788

प्रेषक,
राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक ०५ जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले प्रान्तीयकृत मेला- मकर संक्रान्ति मेला एवं बसन्त पंचमी मेला, अयोध्या के आयोजन हेतु बजट आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-97/मेला सहा०/बजट/मकर संक्रान्ति मेला/वित्तीय वर्ष 2025-26, दिनांक 12.12.2025 एवं पत्र संख्या-98/मेला सहा०/बजट/बसन्त पंचमी मेला/वित्तीय वर्ष 2025-26, दिनांक 12.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद अयोध्या में वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले प्रान्तीयकृत मेला क्रमशः मकर संक्रान्ति मेला के आयोजन हेतु अनुमानित व्यय हेतु धनराशि रू०-95.36 लाख एवं बसन्त पंचमी मेला, अयोध्या के अनुमानित व्यय हेतु धनराशि रू०-96.65 लाख का आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रान्तीयकृत मेला क्रमशः मकर संक्रान्ति मेला के आयोजन हेतु अनुमानित व्यय हेतु धनराशि रू०-95.36 लाख एवं बसन्त पंचमी मेला, अयोध्या के अनुमानित व्यय हेतु धनराशि रू०-96.65 लाख अर्थात् कुल धनराशि **रू०-192.01 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि **रू०-192.01 लाख (रूपये एक करोड़ बान्त्रवे लाख एक हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (i) उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।
- (ii) उक्त स्वीकृत धनराशि का मितव्ययतापूर्ण व्यय विवरण मय फोटोग्राफ उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसको तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (iii) उक्त वित्तीय स्वीकृति के सीमान्तर्गत ही मेला का सकुशल आयोजन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त देयता सृजित न की जाय। उक्त वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त कोई भी धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी। स्वीकृति धनराशि से अतिरिक्त व्यय करके दायित्व सृजित किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।
- (iv) उक्त धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा।

- (v) शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- (vii) उक्त मेला के आयोजन हेतु कार्यदायी विभागों द्वारा यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय किया जाता है, तो कार्यदायी विभाग द्वारा उक्त अतिरिक्त व्यय को स्वयं के स्त्रोतों से वहन किया जायेगा। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, शासन द्वारा कोई धनराशि नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।
- (viii) शासनादेश दिनांक 07.07.2025 द्वारा प्रान्तीयकृत मेलों के संचालन हेतु निर्धारित एस0ओ0पी0 का अनुपालन संबंधित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,92,01,000 (रुपये एक करोड़ बानबे लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500** स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by **भवदीय,**
RAJESHWARI PRASAD
 Date: 05-01-2025 **राजेश्वरी प्रसाद)**
 15:26:40 उप सचिव।

संख्या- २२(1)/2025/018-comp no. 1957788, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जिला अयोध्या।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
6. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपाशंकर जैसवार)
 अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-05/01/2026

प्रेषण संख्या:- 22
आवंटन आदेश संख्या:- 001-22-2026-018-CN-1957788
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	19201000 189557000	19201000 189557000
	योग	वर्तमान प्रगामी	19201000 189557000	19201000 189557000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बानवे लाख एक हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ पंचानवे लाख सत्तावन हजार


(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव